

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/365/94/अलेसे-III/160-168

दिनांक:- 12/06/24

संशोधित कार्यालय आदेश

स्व० श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर जिनकी जन्म तिथि 30.08.1970 है, का दिनांक 02.01.2022 को स्वर्गवास हो जाने के कारण विभागीय पूर्व कार्यालय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2911 दिनांक 17.02.2022 द्वारा इन्हे दिनांक 02.01.2022 से राजकीय सेवा से पृथक किया गया था।

उक्त आदेश में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के बिन्दु 03 में उल्लेखित "पुलिस थाना सांगानेर जयपुर (पूर्व) में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 286/10.03.2014 भा.द.स. 420/406 तथा थाना एचटीएम हिसार (हरियाणा) में मु० स० 60 23.01.2020 धारा 174-ए भा.द.स. में मामला विचाराधीन हैं।" के स्थान पर "कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं है।" पढ़ा जावे।

पूर्व समसंख्यक कार्यालय आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/365/94/अलेसे-III/160-168

दिनांक:- 12/06/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर।
3. श्रीमती नंदिनी अग्निहोत्री पत्नी श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी निवास E-403, मेवाड़ अपार्टमेंट, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(क.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)